[2013] 4 एस.सी.आर. 136

आर. कुप्पुसामी

बनाम

राज्य, पुलिस निरीक्षक, अम्बेइलिगई द्वारा प्रतिनिधित्व

(2008 की आपराधिक अपील सं. 1706)

फरवरी 19, 2013

[टी.एस. ठाकुर और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, न्यायाधीशगण]

भारतीय दंड विधान, 1860 - धारा 302 - हत्या - आजीवन कारावास - डूबने के कारण 10 माह की बालिका की आपराधिक मृत्यु - अभियोजन पक्ष का मामला कि बच्ची को उसके पिता (अपीलकर्ता) द्वारा कुएं में फेंका गया था क्योंकि अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के बीच बच्ची के परिवार के लिए अशुभ होने के संबंध में समस्याएं थीं - अभियोजन साक्षी 1 के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दिए गए न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति कथन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि - औचित्य - अभिनिर्धारित: औचित्यपूर्ण - अपीलकर्ता को आरोपित न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति कथन स्वैच्छिक, सत्य और किसी ऐसे प्रलोभन से अप्रभावित पाया गया जो इसे अविश्वसनीय या विश्वास के अयोग्य बना सके - यह अपीलकर्ता द्वारा अभियोजन साक्षी 1 के समक्ष अपराध घटित होने के लगभग तत्काल बाद दिया गया था - चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा समर्थन - अभियोजन साक्षी 1 का साक्ष्य उसमें किसी सारवान कमी की अनुपस्थिति में विश्वास जगाता है, चाहे वह उसके द्वारा

अभिलिखित की गई बातों के संदर्भ में हो या उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संदर्भ में - सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई यह सुझाव नहीं कि अभियोजन साक्षी 1 के मन में कोई शत्रुता या अन्य कारण था जो उसे अपीलकर्ता को हत्या के मामले में फंसाने तक जाने के लिए प्रेरित करता - विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 1 के साक्ष्य की सही ढंग से सराहना की और उसे विश्वसनीय पाया।

साक्ष्य - न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति - सराहना - अभिनिर्धारित: एक न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति दोषसिद्धि को टिकाए रखने में सक्षम है, बशर्ते कि वह किसी प्रलोभन के अधीन न की गई हो, स्वैच्छिक और सत्य हो - किसी दिए गए मामले में न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति की ये विशेषताएं संतुष्ट हैं या नहीं, यह तथापि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा - यह अंततः संस्वीकृति की विश्वसनीयता के संबंध में न्यायालय की संतुष्टि है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें वह की गई है, वह व्यक्ति जिससे वह की गई कही जाती है और उपलब्ध समर्थन, यदि कोई हो, ऐसी संस्वीकृति की सत्यता के संबंध में, जो यह निर्धारित करेगी कि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति को अभियुक्त को दोषी ठहराने का आधार बनाया जाना चाहिए या नहीं।

साक्ष्य - चिकित्सीय साक्ष्य - सराहना - तथ्यों पर, प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि मृत बच्ची की मृत्यु डूबने के कारण हुई - उसके फेफड़ों में जमाव का अर्थ है फेफड़ों में अतिरिक्त द्रव की उपस्थिति, एक संकेत जो बताता है कि बच्ची ने पानी में रहते हुए अतिरिक्त द्रव श्वास के साथ लिया होगा - मृत बच्ची के पेट में भी जलीय द्रव की उपस्थिति डूबने से मृत्यु का एक महत्वपूर्ण संकेत है - यदि मृत्यु के बाद शव को डुबोया जाए तो पानी का पेट में जाना लगभग असंभव है - बच्ची के शरीर पर किसी अन्य चोट के निशान की अनुपस्थिति भी अभियोजन पक्ष के इस मामले का समर्थन करती है कि बच्ची वास्तव में डूबने

से मर गई थी।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता ने अपनी दस माह की पुत्री की उसे कुएं में फेंककर हत्या की (जिसके परिणामस्वरूप बच्ची की डूबने से मृत्यु हुई), क्योंकि अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के बीच बच्ची के परिवार के लिए अशुभ होने के संबंध में समस्याएं थीं। अपीलकर्ता ने कथित रूप से अभियोजन साक्षी 1, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति दी थी। उक्त न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति पर निर्भरता रखते हुए, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

वर्तमान अपील में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को इन आधारों पर चुनौती दी गई: 1) कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संस्वीकृति कथन का किया जाना न केवल असंभावित था, बल्कि पूर्णतः किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा असमर्थित और असंपुष्ट था; और 2) कि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति अपनी प्रकृति से ही दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है जिसे संस्वीकृति के कर्ता की दोषसिद्धि को समर्थन देने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया जाना चाहिए, और प्रस्तुत मामले में ऐसा कोई समर्थन उपलब्ध नहीं था।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. एक न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति दोषसिद्धि को टिकाए रखने में सक्षम है, बशर्ते कि वह किसी प्रलोभन के अधीन न की गई हो, स्वैच्छिक और सत्य हो। किसी दिए गए मामले में न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति की ये विशेषताएं संतुष्ट हैं या नहीं, यह तथापि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह अंततः संस्वीकृति की विश्वसनीयता के

संबंध में न्यायालय की संतुष्टि है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें वह की गई है, वह व्यक्ति जिससे वह की गई कही जाती है और उपलब्ध समर्थन, यदि कोई हो, ऐसी संस्वीकृति की सत्यता के संबंध में, जो यह निर्धारित करेगी कि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति को अभियुक्त को दोषी ठहराने का आधार बनाया जाना चाहिए या नहीं। [कंडिका 7] [145-सी-ई]

गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2001) 2 एससीसी 205: 2000 (5) पूरक एससीआर 408; सहादेवन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2012) 6 एससीसी 403; बलबीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1996 (एससीसी) आप. 1158 और जसपाल सिंह उर्फ पाली बनाम पंजाब राज्य (1997) 1 एससीसी 510 - निर्भर किया गया।

2.1. प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने अपीलकर्ता को आरोपित न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति को स्वैच्छिक, सत्य और किसी ऐसे प्रलोभन से अप्रभावित पाया जो इसे अविश्वसनीय या विश्वास के अयोग्य बना सके। विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष तथ्य या विधि की किसी त्रुटि से दूषित नहीं है। प्रस्तुत मामले में संस्वीकृति कथन अपीलकर्ता द्वारा अपराध घटित होने के लगभग तत्काल बाद किया गया था। अपीलकर्ता के बारे में कहा जाता है कि वह अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के पास गया, जो वेरियापुर के संबंधित ग्राम प्रशासनिक अधिकारी थे और साक्षी को उस घटना का पूरा विवरण बताया जिसके कारण उसने अपने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित कुएं में शिशु सविता को फेंका। अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन ने अपीलकर्ता का संस्वीकृति कथन अभिलिखित किया, जिसे विचारण में प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नित किया गया, और अपीलकर्ता से उस पर हस्ताक्षर करवाए तथा अपीलकर्ता को अपने साथ क्षेत्राधिकार युक्त पुलिस थाने ले गए। [कंडिका 8] [145-एफ-एच; 146-ए-सी]

2.2. अभियोजन साक्षी 1 का साक्ष्य उसमें किसी सारवान कमी की अनुपस्थिति में विश्वास जगाता है, चाहे वह उसके द्वारा अभिलिखित की गई बातों के संदर्भ में हो या उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संदर्भ में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई यह सुझाव नहीं कि इस साक्षी के मन में कोई शत्रुता या अन्य कारण था जो उसे अपीलकर्ता को हत्या के मामले में फंसाने तक जाने के लिए प्रेरित करता। विचारण न्यायालय ने इस साक्षी के साक्ष्य की सही ढंग से सराहना की और उसे विश्वसनीय पाया। [कंडिका 10] [146-एच; 147-ए-बी]

3. कथन की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा होती है। मामले में प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि मृत बच्ची की मृत्यु आपराधिक रूप से हुई थी और वह डूबने के कारण हुई थी। इस पहलू पर चिकित्सक अभियोजन साक्षी 10 का साक्ष्य स्पष्ट है। चिकित्सक ने मृत बच्ची के फेफड़ों को जमावग्रस्त पाया। फेफड़ों में जमाव का अर्थ है फेफड़ों में अतिरिक्त द्रव की उपस्थिति, एक संकेत जो बताता है कि बच्ची ने पानी में रहते हुए अतिरिक्त द्रव श्वास के साथ लिया होगा। इसके अतिरिक्त, चिकित्सक का यह निष्कर्ष भी है कि मृत बच्ची के पेट में भी 200 एमएल. जलीय द्रव था। मोदी के न्यायशास्त्र तथा विषविज्ञान ग्रंथ के अनुसार के अनुसार, पेट में एक निश्चित मात्रा में पानी की उपस्थिति डूबने से मृत्यु का एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। यदि मृत्यु के बाद शव को डुबोया जाए तो पानी का पेट में जाना लगभग असंभव है। यह सब बताता है कि मृत्यु पानी अंदर जाने के कारण हुई जो आमतौर पर डूबने की स्थिति में संघर्ष करते समय होता है। बच्ची के शरीर पर किसी अन्य चोट के निशान की अनुपस्थिति भी अभियोजन पक्ष के इस मामले का समर्थन करती है कि मृत बच्ची वास्तव में डूबने से मर गई थी। इस प्रकार संस्वीकृति कथन को बच्ची की मृत्यु के कारण के संबंध में पर्याप्त समर्थन मिलता है। इससे परे विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित अन्य साक्षियों के साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के संस्करण को समर्थन देते हैं। [कंडिका 11, 12

और 13] [147-सी-डी, ई-एच; 148-ए-बी]

*मोदी के न्यायशास्त्र तथा विषविज्ञान ग्रंथ - **संदर्भित।***

4. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति कथन का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त समर्थनकारी साक्ष्य है जिसमें अपीलकर्ता ने उसके और उसके माता-पिता के बीच बच्ची के संबंध में किसी प्रकार की संदेह और असहमति का उल्लेख किया है, जिसके कारण उसने बच्ची को कुएं में फेंका। यह उन मामलों में से एक नहीं है जहां संस्वीकृति कथन किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष किया जाता है जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो, और न ही यह कोई ऐसा मामला है जहां अभिलेख पर अन्य साक्ष्य से कोई समर्थन उपलब्ध न हो। दोनों दृष्टियों से विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण पूर्णतः न्यायोचित प्रतीत होता है। वही, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता। [कंडिका 18] [150-ए-सी]

वाद विधि संदर्भ:

2000 (5) पूरक एससीआर 408	**निर्भर किया गया**	**कंडिका 5**
(2012) 6 एससीसी 403	**निर्भर किया गया**	**कंडिका 5, 6**
1996 (एससीसी) आप. 1158	**निर्भर किया गया**	**कंडिका 6**
(1997) 1 एससीसी 510	**निर्भर किया गया**	**कंडिका 6**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2008 की आपराधिक अपील सं. 1706।

मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरई पीठ के 2005 की आपराधिक अपील (एमडी) सं. 224 में

दिनांक 26.02.2007 के निर्णय एवं आदेश से।

महालक्ष्मी पवानी, जी. बालाजी, मुकेश कुमार सिंह (महालक्ष्मी बालाजी एवं कंपनी के लिए) अपीलकर्ता की ओर से।

एम. योगेश कन्ना, ए. शांता कुमारन उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया

टी.एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति. 1. इस विशेष अनुमति द्वारा अपील में निर्धारण के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या के अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने और उसे एक न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति के आधार पर आजीवन कारावास की सजा देने में औचित्य किया जो उसने कथित रूप से वेरियापुर के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, (संक्षेप में वीएओ) के समक्ष की थी। न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति, अभियोजन पक्ष के अनुसार, वीएओ द्वारा लिखित रूप में लाई गई और विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को उस अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त पाई गई जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। उस निष्कर्ष और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित परिणामी आदेशों पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेप किया जिन्होंने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संस्वीकृति कथन का किया जाना न केवल असंभावित था बल्कि पूर्णतः किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा असमर्थित और असंपुष्ट था। इस न्यायालय के अनेक निर्णयों पर निर्भरता रखते हुए, यह तर्क दिया गया कि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति अपनी प्रकृति से ही दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है जिसे संस्वीकृति के कर्ता की दोषसिद्धि को समर्थन देने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया जाना चाहिए। सुश्री महालक्ष्मी पवानी के अनुसार, वर्तमान मामले में ऐसा कोई समर्थन उपलब्ध नहीं था, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश विधि में असंधारणीय हो गया।

2. इससे पहले कि हम अपीलकर्ता के विरुद्ध गठित आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य का संदर्भ दें, हम उस तथ्यात्मक आधार का संक्षेप में पुनःस्मरण कर सकते हैं जिसमें अपराध कथित रूप से घटित हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलकर्ता ओड्डनचत्रम पुलिस थाना सीमा के अंतर्गत अन्नामलाईपुथुर ग्राम के वेरियापुर गांव का निवासी है। उसने घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व एक युवरानी से विवाह किया। विवाह के लगभग 10 माह बाद, दंपती को एक कन्या शिशु की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सविता रखा। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने बच्ची के जन्म के बारे में कुछ संदेह विकसित कर लिया था, यद्यपि यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि संदेह बच्ची की पितृत्व के बारे में था या परिवार के लिए बच्ची के अशुभ होने के बारे में। जो भी हो, घटना के समय के आसपास अपीलकर्ता के बारे में कहा जाता है कि वह अपने गांव में बच्ची का मुंडन संस्कार करने आया था जो लगभग 10 माह की थी। उसके माता-पिता भोजन के साथ होने वाले मुंडन संस्कार के बारे में अधिक उत्साहित नहीं थे। उन्होंने कथित रूप से अपीलकर्ता से कहा कि बच्ची के जन्म के बाद से परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभियोजन पक्ष का संस्करण आगे यह है कि चूंकि अपीलकर्ता ने बच्ची के बारे में पहले से ही संदेह विकसित कर लिया था, उसने 18 मार्च, 2005 को लगभग 11:00 बजे पूर्वाह्न बच्ची को उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया जिसके परिणामस्वरूप बच्ची की डूबने से मृत्यु हो गई। बच्ची को कुएं में फेंकने के बाद अपीलकर्ता के बारे में कहा जाता है कि वह अभियोजन साक्षी 5 सक्थिवेल, वेरिपुर पंचायत बोर्ड के उपाध्यक्ष के पास गया और उसे बताया कि उसने अपनी पुत्री को कुएं में फेंक दिया है। अभियोजन साक्षी 5 सक्थिवेल के बारे में कहा जाता है कि उसने अपीलकर्ता को अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन, वेरियापुर के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के पास जाने की सलाह दी। अपीलकर्ता तदनुसार अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन के पास गया और उन्हें घटना का विवरण

बताया। अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपीलकर्ता का कथन अभिलिखित किया और अपीलकर्ता को अपने साथ पुलिस थाने ले गए जहां उन्होंने घटना के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्राथमिकी) दर्ज कराई और अपीलकर्ता द्वारा दी गई न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति पुलिस के सामने प्रस्तुत की।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में अम्बलिक्काई पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत एक मामला पंजीकृत किया गया और अनुसंधान प्रारंभ हुआ जिसके दौरान बच्ची के शव का शव-परीक्षण कराया गया जिसमें पता चला कि बच्ची की मृत्यु डूबने के कारण हुई थी। पुलिस ने अंततः अपीलकर्ता के विरुद्ध अपनी पुत्री की हत्या करने के लिए आरोप पत्र दाखिल किया जिस आरोप के लिए अपीलकर्ता ने निर्दोष होने का अभिवचन किया जिसके परिणामस्वरूप दिंडीगुल में सत्र न्यायालय के समक्ष उसका विचारण हुआ।

4. विचारण में अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कुल 11 साक्षियों का परीक्षण किया। अपीलकर्ता ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसके द्वारा दिए गए कथन में निर्दोषिता और मिथ्या फंसाव का अभिवचन किया। विचारण न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता के विरुद्ध गठित आरोप वेरियापुर के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन के समक्ष उसके द्वारा की गई न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति के आधार पर सिद्ध हुआ। न्यायालय ने तदनुसार उसे दोषी घोषित किया और उसे आजीवन कारावास भोगने की सजा सुनाई। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील सं.224 of 2005 दायर की। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमति जताई और अपील खारिज कर दी। इस प्रक्रिया में, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि

अपीलकर्ता ने वास्तव में न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति की थी जो, उच्च न्यायालय के अनुसार, विश्वसनीय थी और न्यायालय को उसे दोषी ठहराने के लिए एक सुरक्षित आधार प्रदान करती थी। प्रस्तुत अपील उपर्युक्त निर्णयों और आदेशों की शुद्धता पर आक्षेप करती है जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

5. यह सामान्य आधार है कि उस घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है जिसके कारण उस दुर्भाग्यपूर्ण कन्या शिशु की मृत्यु हुई जो लगभग दस माह की थी। अभियोजन पक्ष का मामला पूर्णतः अपीलकर्ता को आरोपित न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति पर टिका है जिसे विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने स्वैच्छिक और सत्य पाया। कि एक सत्य न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति जो स्वैच्छिक रूप से और बिना किसी प्रलोभन के की गई हो, संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित करने का आधार बनाई जा सकती है, यह सुनवाई में हमारे समक्ष विवादास्पद नहीं था। सुश्री महालक्ष्मी पवानी द्वारा जो तर्क दिया गया वह यह था कि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति अपनी प्रकृति से ही दुर्बल प्रकार का साक्ष्य होने के कारण, न्यायालय ऐसे साक्ष्य से निपटते समय सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएंगे और दोषसिद्धि तभी अभिलिखित करेंगे जब न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति सत्य और स्वैच्छिक होने के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य द्वारा भी संपुष्ट हो। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रस्तुत मामले में ऐसा कोई समर्थन उपलब्ध नहीं था जो उनके अनुसार अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में संस्वीकृति कथन को अस्वीकार करने को स्वयं में उचित ठहराने के लिए पर्याप्त था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क के समर्थन में, इस न्यायालय के *गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2001) 2 एससीसी 205 और सहादेवन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2012)* 6 एससीसी 403 के मामलों में निर्णयों पर निर्भरता रखी गई। *गुरा सिंह के मामले (उपरोक्त)* में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ भी एक न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति और इस प्रश्न से निपट

रही थी कि क्या उसे अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित करने का आधार बनाया जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति की आंतरिक दुर्बलता के बावजूद, यदि वह अन्यथा स्वैच्छिक और सत्य दिखाई जाती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति को हमेशा दूषित साक्ष्य नहीं कहा जा सकता और ऐसे साक्ष्य के समर्थन की आवश्यकता केवल प्रचुर सावधानी के एक उपाय के रूप में है। यदि न्यायालय उस साक्षी को, जिसे संस्वीकृति की गई, विश्वसनीय पाए और कि संस्वीकृति सत्य और स्वैच्छिक थी, तो केवल ऐसे साक्ष्य पर दोषसिद्धि की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने घोषित किया कि न्यायालय इस पूर्वधारणा से आरंभ नहीं कर सकते कि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति हमेशा संदिग्ध या दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है, बल्कि यह परिस्थितियों की प्रकृति, संस्वीकृति किए जाने के समय और उन साक्षियों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा जो ऐसी संस्वीकृति के बारे में बोलते हैं तथा इस पर भी कि संस्वीकृति स्वैच्छिक और सत्य है या नहीं।

6. *सहादेवन के मामले* (उपरोक्त) में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने इस विषय पर वाद विधि की व्यापक समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति एक स्वीकार्य साक्ष्य का टुकड़ा है जो किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि का समर्थन करने में सक्षम है, बशर्ते कि वह स्वैच्छिक रूप से की गई हो और अन्यथा सत्य पाई गई हो। इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को भी दोहराया कि यदि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति को ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला का समर्थन प्राप्त है और अन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्ट है, तो वह विश्वसनीयता प्राप्त करती है। इसी प्रभाव के हैं *बलबीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य* 1996 (एससीसी) आप. 1158 और *जसपाल सिंह उर्फ पाली बनाम पंजाब राज्य* (1997) 1 एससीसी 510 के मामलों में इस

न्यायालय के निर्णय।

7. उपरोक्त उद्घोषणाओं के आलोक में, इस न्यायालय के निर्णयों की इस विषय पर किसी आगे की समीक्षा में प्रवृत्त होना अनावश्यक है। विधिक स्थिति काफी सुस्थापित है कि एक न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति दोषसिद्धि को टिकाए रखने में सक्षम है, बशर्ते कि वह किसी प्रलोभन के अधीन न की गई हो, स्वैच्छिक और सत्य हो। किसी दिए गए मामले में न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति की ये विशेषताएं संतुष्ट हैं या नहीं, यह तथापि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह अंततः संस्वीकृति की विश्वसनीयता के संबंध में न्यायालय की संतुष्टि है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें वह की गई है, वह व्यक्ति जिससे वह की गई कही जाती है और उपलब्ध समर्थन, यदि कोई हो, ऐसी संस्वीकृति की सत्यता के संबंध में, जो यह निर्धारित करेगी कि न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति को अभियुक्त को दोषी ठहराने का आधार बनाया जाना चाहिए या नहीं।

8. प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने अपीलकर्ता को आरोपित न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति को स्वैच्छिक, सत्य और किसी ऐसे प्रलोभन से अप्रभावित पाया जो इसे अविश्वसनीय या विश्वास के अयोग्य बना सके। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को काफी लंबे समय तक सुनने के पश्चात और विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से गुजरने के पश्चात, हम इस मत के हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष तथ्य या विधि की किसी त्रुटि से दूषित नहीं है। प्रस्तुत मामले में संस्वीकृति कथन अपीलकर्ता द्वारा अपराध घटित होने के लगभग तत्काल बाद किया गया था। अपीलकर्ता के बारे में कहा जाता है कि वह अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के पास गया, जो वेरियापुर के संबंधित ग्राम प्रशासनिक अधिकारी थे और साक्षी को उस घटना का पूरा विवरण बताया जिसके कारण उसने अपने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित कुएं में शिशु सविता

को फेंका। अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन ने अपीलकर्ता का संस्वीकृति कथन अभिलिखित किया, जिसे विचारण में प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नित किया गया, और अपीलकर्ता से उस पर हस्ताक्षर करवाए तथा अपीलकर्ता को अपने साथ क्षेत्राधिकार युक्त पुलिस थाने ले गए। पुलिस थाने में अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन ने घटना के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध सं.61/05 के रूप में पंजीकृत करवाई जिससे विधिक प्रक्रिया गतिमान हुई, जिसके दौरान अनुसंधान कर्ता को अपीलकर्ता द्वारा उस कुएं तक ले जाया गया जिसमें उसने बच्ची को फेंका था। कुएं पर पुलिस निरीक्षक ने महाज़र तैयार किया जिस पर साक्षियों सहित अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन ने स्वयं हस्ताक्षर किए और बच्ची के शव का प्रभार लिया जिसे तब तक कुएं से बाहर निकाल लिया गया था। कुएं से लगभग 20 फीट की दूरी पर पड़ा एक तौलिया भी जब्त किया गया।

9. अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन का लंबे समय तक प्रति-परीक्षण किया गया, किंतु प्रति-परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके साक्ष्य को संभवतः अविश्वसनीय बना सके। साक्षी और अपीलकर्ता के बीच कभी कोई शत्रुता नहीं रही जो अपीलकर्ता के मिथ्या फंसाव का सुझाव दे। प्रति-परीक्षण के दौरान दिया गया एकमात्र महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि संस्वीकृति कथन उसके द्वारा बताए अनुसार उसके कार्यालय में नहीं बल्कि पुलिस थाने में और संबंधित उपनिरीक्षक की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था। इस सुझाव को साक्षी ने नकारा है, जिसमें यह सुझाव भी शामिल है कि कथन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में अभिलिखित किया जाना चाहिए था और इसे इस प्रकार न अभिलिखित किए जाने का कारण यह था कि कथन पुलिस थाने में एक साधारण सफेद कागज का उपयोग करके काले और सफेद में डाल दिया गया था। साक्षी ने बताया कि कथन एक सादे कागज पर अभिलिखित किया गया क्योंकि उसके कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र आसानी से उपलब्ध नहीं थे।

10. अभियोजन साक्षी 1 एस.के. नटराजन का साक्ष्य उसमें किसी सारवान कमी की अनुपस्थिति में विश्वास जगाता है, चाहे वह उसके द्वारा अभिलिखित की गई बातों के संदर्भ में हो या उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संदर्भ में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई यह सुझाव नहीं कि इस साक्षी के मन में कोई शत्रुता या अन्य कारण था जो उसे अपीलकर्ता को हत्या के मामले में फंसाने तक जाने के लिए प्रेरित करता। विचारण न्यायालय ने, हमारी राय में, इस साक्षी के साक्ष्य की सही ढंग से सराहना की और उसे विश्वसनीय पाया। दोनों न्यायालयों द्वारा लौटाए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष ने, हमारी राय में, न्याय का कोई अपभ्रंश नहीं किया है जो हमें भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का औचित्य दे।

11. इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या कथन अन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्ट था, हम पाते हैं कि ऐसा समर्थन वास्तव में चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्षियों के साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। मामले में प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि मृत बच्ची की मृत्यु आपराधिक रूप से हुई थी और वह डूबने के कारण हुई थी। हमारी राय में, इस पहलू पर अभियोजन साक्षी 10 डॉ. ए. मुथुसामी का साक्ष्य स्पष्ट है, यद्यपि सुश्री महालक्ष्मी पवानी ने जोरदार तर्क दिया कि चिकित्सक ने बच्ची के फेफड़ों में पानी की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया जो उनके अनुसार दर्शाता है कि बच्ची के डूबने से मरने की कहानी चिकित्सीय साक्ष्य से असमर्थित थी। तथापि, तथ्य यह है कि चिकित्सक ने मृत बच्ची के फेफड़ों को जमावग्रस्त पाया। फेफड़ों में जमाव का अर्थ है फेफड़ों में अतिरिक्त द्रव की उपस्थिति, एक संकेत जो बताता है कि बच्ची ने पानी में रहते हुए अतिरिक्त द्रव श्वास के साथ लिया होगा। इसके अतिरिक्त, चिकित्सक का यह निष्कर्ष भी है कि मृत बच्ची के पेट में भी 200 एमएल. जलीय द्रव था। मोदी के न्यायशास्त्र तथा विषविज्ञान ग्रंथ के अनुसार, पेट में एक निश्चित मात्रा में पानी की उपस्थिति डूबने से मृत्यु का एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। यदि मृत्यु के बाद शव को डुबोया जाए तो पानी का पेट में

जाना लगभग असंभव है।

12. यह सब बताता है कि मृत्यु पानी अंदर जाने के कारण हुई जो आमतौर पर डूबने की स्थिति में संघर्ष करते समय होता है। बच्ची के शरीर पर किसी अन्य चोट के निशान की अनुपस्थिति भी अभियोजन पक्ष के इस मामले का समर्थन करती है कि मृत बच्ची वास्तव में डूबने से मर गई थी। इस प्रकार संस्वीकृति कथन को बच्ची की मृत्यु के कारण के संबंध में पर्याप्त समर्थन मिलता है।

13. इससे परे विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित अन्य साक्षियों के साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के संस्करण को समर्थन देते हैं। उदाहरण के लिए अभियोजन साक्षी 2 कनकारन ने साक्ष्य दिया कि वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलकर्ता के खेत के पास अपने खेत में मिर्च चुन रहा था। लगभग दोपहर 12.00 बजे साक्षी ने चेलिमेडु में किसी के रोने की आवाज सुनी। साक्षी और आसपास के अन्य लोग दौड़े और कुएं में झांके तो बच्ची का शव तैरता हुआ मिला। साक्षी कुएं में उतरा और बच्ची को उठाकर बाहर लाया। बच्ची मर चुकी थी। अपीलकर्ता की पत्नी रो रही थी और कह रही थी कि बच्ची को कुएं में फेंका गया है और अपीलकर्ता ने उसे मार दिया है।

14. प्रति-परीक्षण में साक्षी ने 'मुंडन' संस्कार या अपीलकर्ता द्वारा उसके लिए की गई व्यवस्था के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की और कि उसे ऐसे किसी समारोह का निमंत्रण नहीं मिला था। अपीलकर्ता की पत्नी, साक्षी के अनुसार, कह रही थी कि अपीलकर्ता ने बच्ची के जन्म पर 'संदेह किया' जिसका तात्पर्य यह था कि अपीलकर्ता या तो बच्ची की पितृत्व के बारे में संदिग्ध था या उसके परिवार के लिए अशुभ होने के बारे में।

15. इसी प्रभाव का है अभियोजन साक्षी 3 पलानीसामी का कथन जिसके अनुसार

अपीलकर्ता की पत्नी जोर-जोर से रो रही थी। पास के खेतों से लोग दौड़ते हुए कुएं पर आए और यह साक्षी भी आया। अपीलकर्ता की पत्नी कहते हुए सुनी गई कि बच्ची को मार दिया गया है। कनकारन अभियोजन साक्षी 2 कुएं में उतरे और बच्ची का शव बाहर निकाला और उसे कुएं के पश्चिमी ओर रख दिया। पुलिस निरीक्षक यथासमय पहुंचे और उन्होंने उसका पूछताछ किया।

16. अभियोजन साक्षी 4 मनोहरन को प्रतिकूल घोषित किया गया, किंतु प्रति-परीक्षण किया गया और धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस के समक्ष दिए गए कथन से उसका सामना किया गया कि अपीलकर्ता को उसके द्वारा तनाव में घटना स्थल से चलते हुए देखा गया था। अभियोजन साक्षी 5 सक्थिवेल, वेरिपुर पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अपीलकर्ता उसके पास आया और उसे बताया कि बच्ची कुएं में गिर गई है और उसने पूछा कि इस मामले में उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे मणियाकरार के पास जाने के लिए कहा था। इस साक्षी को भी प्रतिकूल घोषित किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस के समक्ष दिए गए कथन से उसका सामना किया गया।

17. अभियोजन साक्षी 6 पलानीअम्माल का कथन जो मृत बच्ची की नानी थी, भी महत्वपूर्ण है। इस साक्षी ने बताया कि बच्ची अपीलकर्ता के विवाह के 10 माह बाद पैदा हुई थी। अपीलकर्ता की पत्नी बच्ची के जन्म के बाद सात माह तक अपने माता-पिता के यहां रही। उसे अंततः साक्षी और अपीलकर्ता द्वारा उसके ससुराल लाया गया। तीन माह बाद, 18 मार्च, 2005 को अपीलकर्ता पॉन्डिचेरी से लौटा जहां वह काम करता था और उसे बताया कि वह अपनी पुत्री का 'मुंडन' संस्कार करने आया है और पूछा कि जब ऐसा समारोह हो रहा है तो वह खेत क्यों जा रही है। साक्षी ने बताया कि यदि समारोह आयोजित करना था तो उसे दस दिन पहले सूचित करना चाहिए था ताकि वे भव्य तरीके से समारोह की व्यवस्था कर सकते। साक्षी ने उसे बताया कि चूंकि उसने मूंगफली चुनने के लिए दो व्यक्तियों को लगाया है, वह अपने पिता को लेकर

मुंडन करे। यथाक्रम, अपीलकर्ता के पिता भी खेत में पहुंचे और मजदूरों के साथ मूंगफली चुनते समय उन्हें सूचना मिली कि बच्ची गायब है। वे दौड़कर वापस आए तो पाया कि बच्ची कुएं में तैर रही है। घटना की तारीख पर गांव में अपीलकर्ता की उपस्थिति इस साक्षी के साक्ष्य द्वारा स्थापित होती है और यह तथ्य भी कि अपीलकर्ता के माता-पिता प्रस्तावित मुंडन संस्कार में शामिल होने के बारे में अधिक उद्विग्न या प्रसन्न नहीं थे। अभियोजन पक्ष का मामला, यह नोट करना महत्वपूर्ण है, यह है कि बच्ची के जन्म के बाद से अपीलकर्ता और उसके माता-पिता के बीच बच्ची के परिवार के लिए अशुभ होने के संबंध में समस्याएं थीं जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा बच्ची को कुएं में फेंकने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी।

18. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के न्यायालय-बाह्य संस्वीकृति कथन का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त समर्थनकारी साक्ष्य है जिसमें अपीलकर्ता ने उसके और उसके माता-पिता के बीच बच्ची के संबंध में किसी प्रकार की संदेह और असहमति का उल्लेख किया है जिसके कारण उसने बच्ची को कुएं में फेंका। इतना कहना पर्याप्त है कि यह उन मामलों में से एक नहीं है जहां संस्वीकृति कथन किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष किया जाता है जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो, और न ही यह कोई ऐसा मामला है जहां अभिलेख पर अन्य साक्ष्य से कोई समर्थन उपलब्ध न हो। दोनों दृष्टियों से विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण हमें पूर्णतः न्यायोचित प्रतीत होता है। वही, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत हमारे हस्तक्षेप की मांग नहीं करता।

19. परिणामस्वरूप यह अपील विफल होती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।